भारत सरकार

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या : 2265
उत्तर देने की तारीख : 12.02.2026

एमएसएमई हब अथवा औद्योगिक पार्क

2265. श्रीमती मालविका देवीः

क्या **सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार की सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) के संवर्धन और विकास के लिए कोई नई परियोजना शुरू करने की कोई योजना है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार देश भर में नए एमएसएमई केन्द्र या औद्योगिक पार्क स्थापित करने पर विचार कर रही है, यदि हां, तो ओडिशा सहित तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) ऐसे पार्कों के चयन के लिए क्या मानदंड हैं; और

(घ) क्या सरकार कालाहांडी जिले में स्थानीय उद्यमिता, रोजगार सृजन और संतुलित क्षेत्रीय विकास को बढ़ावा देने के लिए कम से कम एक एमएसएमई पार्क को मंजूरी देने पर विचार कर रही है क्योंकि कालाहांडी एमएसएमई आधारित विकास की महत्वपूर्ण संभावना वाला एक आकांक्षी जिला है?

उत्तर
सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम राज्य मंत्री
(सुश्री शोभा करांदलाजे)

(क): केन्द्र सरकार ऋण, कौशल विकास, अवसंरचना और क्लस्टर विकास आदि के लिए विभिन्न योजनाओं, कार्यक्रमों और नीतिगत पहलों के माध्यम से राज्य/संघ-राज्य क्षेत्र की सरकारों के प्रयासों में सहायता प्रदान करती है। इसमें अन्य बातों के साथ-साथ, प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (पीएमईजीपी), सूक्ष्म और लघु उद्यमों (एमएसई) के लिए क्रेडिट गारंटी स्कीम (सीजीएस), आत्मनिर्भर भारत (एसआरआई) कोष, सूक्ष्म और लघु उद्यम-क्लस्टर विकास कार्यक्रम (एमएसई-सीडीपी), एमएसएमई कार्यनिष्पादन में संवर्धन और गतिवर्धन (आरएएमपी) जैसी योजनाओं, टूल रूम और प्रौद्योगिकी केंद्रों (टीसी) के रूप में जाने जाने वाले तकनीकी संस्थानों आदि के माध्यम से वित्तीय सहायता, ऋण सहायता और प्रौद्योगिकी अपनाने सम्बन्धी पहलें शामिल हैं।

इसके अलावा, एमएसएमई मंत्रालय देश भर में सूक्ष्म और लघु उद्यम-क्लस्टर विकास कार्यक्रम (एमएसई-सीडीपी) का कार्यान्वयन कर रहा है। इस स्कीम का उद्देश्य मौजूदा क्लस्टरों में सामान्य सुविधा केंद्रों (सीएफसी) की स्थापना करने तथा नए/मौजूदा औद्योगिक संपदाओं/क्षेत्रों/फ्लैटेड फैक्ट्री परिसरों में बुनियादी ढांचा सुविधाओं की स्थापना/उन्नयन करने के लिए भारत सरकार के अनुदान के रूप में वित्तीय सहायता प्रदान करके क्लस्टर विकास दृष्टिकोण अपनाकर सूक्ष्म और लघु उद्यमों (एमएसई) के समग्र विकास के लिए उनकी उत्पादकता और प्रतिस्पर्धात्मकता को बढ़ाना है । यह मांग आधारित स्कीम है और राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों से उनकी आवश्यकता के अनुसार प्रस्ताव प्राप्त होते हैं।

(ख) : ओडिशा सरकार द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार, एमएसएमई विभाग ने ओडिशा राज्य के प्रत्येक जिले में एक बहु-उत्पाद एमएसएमई पार्क के विकास के लिए कुल परियोजना लागत 250/- करोड़ रुपए के साथ मल्टी प्रोडक्ट एमएसएमई पार्क के नाम से एमएसएमई विभाग अधिसूचना संख्या 8762, दिनांक 07.12.2023 के माध्यम से एक नई स्कीम अधिसूचित की है। वर्तमान में विभिन्न जिलों में 30 एमएसएमई पार्कों में विकास संबंधी कार्यकलाप चल रहे हैं/पूरे हो गए हैं/विभिन्न चरणों में हैं।

(ग) : एमएसएमई पार्कों की स्थापना एमएसएमई के लिए उपयुक्त/रणनीतिक स्थानों में भूमि की उपलब्धता के अनुसार की जा रही है।

(घ) : ओडिशा सरकार द्वारा दी गई सूचना के अनुसार, ओडिशा के कालाहांडी जिले के केसिंगा में 47.69 एकड़ के स्वीकृत क्षेत्र के साथ एक एमएसएमई पार्क शुरू किया गया है। पार्क के विकास का कार्य पूरा हो चुका है। पार्क का आवंटन योग्य क्षेत्र 31.73 एकड़ है। इसके अलावा, मांग और पात्रता के अनुसार एमएसएमई इकाई को भूखंडों का आवंटन किया जाता है।

*****